भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5652

06 अप्रैल, 2022 को उत्तर के लिए

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) को रक्षित खानों का आवंटन

5652. श्री राम मोहन नायडू किंजरापु:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) को रक्षित खदानों के आबंटन संबंधी संसदीय समिति की सिफारिशों के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हाँ, तो आरआईएनएल को प्रदान नहीं की गई रक्षित खानों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार की आरआईएनएल को रक्षित खानें देने की योजना है;

(घ) यदि हाँ, तो रक्षित खानों की आबंटन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अपेक्षित समय-सीमा का ब्यौरा क्या है;

(ङ) आरआईएनएल के लिए रक्षित खानों के आबंटन की स्थिति और झारखंड में रबोडी ओसीपी कोयला खान के आबंटन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अपेक्षित समय का ब्यौरा क्या है;

(च) वर्ष 2000 से कुल लौह अयस्क उत्पादन की तुलना में निर्यात किए गए लौह अयस्क के प्रतिशत का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(छ) वर्ष 2015 से लौह अयस्क निर्यात के सापेक्ष प्रतिशत सहित देशों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इस्पात मंत्री **(श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह)**

(क) से (घ): जी हाँ। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) को कैप्टिव खदानों के आवंटन हेतु विभिन्न संसदीय समितियों द्वारा सिफारिश की गई।

इस्पात मंत्रालय ने ओडिशा सरकार से एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की धारा 17(क) के तहत आरआईएनएल के पक्ष में क्योंझर जिले में मलंगटोली और खंदाधार के एक लौह अयस्क ब्लॉक को आरक्षित करने का अनुरोध किया है। आरआईएनएल ने भी विभिन्न राज्य सरकारों यथा ओडिशा, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ से एमएमडीआर अधिनियम, 2015 के धारा 17क(2क) के तहत लौह अयस्क

भंडार आरक्षित करने का अनुरोध किया है। अभी तक आरआईएनएल को कोई कैप्टिव खदान आवंटित नहीं की गई है।

(ङ): आरआईएनएल को 'लौह एवं इस्पात के उत्पादन' के लिए कोयला खान (विशेष उपबंध) नियम, 2014 के नियम 11(10) के साथ पठित कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 की धारा 5(1) के प्रावधानों के अनुसार राबोडीह ओसीपी कोयला खदान आवंटित की गई थी। आरआईएनएल में भारत सरकार की शेयरधारिता के 100% विनिवेश की आर्थिक कार्य-संबंधी मंत्रिमंडल समिति की 'सैद्धांतिक मंजूरी' के पश्चात्, कोयला मंत्रालय ने राबोडीह ओसीपी कोयला खदान के आरआईएनएल के आवंटन को खारिज कर दिया है।

(च): वर्ष 2000 से उत्पादित कुल लौह अयस्क की तुलना में निर्यातित लौह अयस्क की प्रतिशतता का वर्ष-वार ब्यौरा **अनुलग्नक I** में है।

(छ): वर्ष 2015-16 से 2020-21 तक भारत द्वारा लौह अयस्क के निर्यात का देश-वार ब्यौरा **अनुलग्नक II** में है।

****

अनुलग्नक-I

<u>वर्ष 2000-01 से लौह अयस्क उत्पादन की तुलना में निर्यातित लौह अयस्क का उत्पादन</u>

(हजार टन में)

वर्ष	**निर्यात**	**उत्पादन**	**निर्यातित लौह अयस्क %**
2000-01	20160	80587	25.02
2001-02	23085	86226	26.77
2002-03	57093	99072	57.63
2003-04	51494	122838	41.92
2004-05	87283	145942	59.81
2005-06	84042	165230	50.86
2006-07	91423	187696	48.71
2007-08	68473	213246	32.11
2008-09	68903	212952	32.36
2009-10	101263	218533	46.34
2010-11	49368	207109	23.84
2011-12	47279	168565	28.05
2012-13	18122	136618	13.26
2013-14	16244	152183	10.67
2014-15	7296	129321	5.64
2015-16	5441	158108	3.44
2016-17	30727	194584	15.79
2017-18	24204	201426	12.02
2018-19	16149	206494	7.82

स्रोत:निर्यात के लिए आईएमवाईबी, एमएसएमपी और डीजीसीआईएस, कोलकाता और उत्पादन के लिए एमसीडीआर रिटर्न

अनुलग्नक-II

वर्ष 2015-16 से निर्यातित लौह अयस्क का देश-वार विवरण

(मात्रा हजार टन में)

देश	2015-16		2016-17		2017-18		2018-19		2019-20	
	मात्रा	% हिस्सा	मात्रा	% हिस्सा	मात्रा	% हिस्सा	मात्रा	% हिस्सा	मात्रा	% हिस्सा
कुल निर्यात: संपूर्ण भारत	5441	100%	30727	100%	24204	100%	16149	100%	36625	100%
चीन पीपुल्स रिपब्लिक	5060	93.00%	29474	95.92%	18603	76.86%	12103	74.95%	31607	86.30%
इंडोनेशिया	--		--		273	1.13%	108	0.67%	53	0.14%
कोरिया रिपब्लिक	--		75	0.24%	1125	4.65%	1055	6.53%	1016	2.77%
ओमान	++		416	1.35%	388	1.60%	252	1.56%	531	1.45%
मलेशिया	21	0.39%	--		218	0.90%	344	2.13%	266	0.73%
इटली	--		109	0.35%	++		++		59	0.16%
नेपाल	43	0.79%	37	0.12%	48	0.20%	77	0.48%	77	0.21%
ब्राजील	--		--		++		++		54	0.15%
वियतनाम एसओसी रिपब्लिक	5	0.09%	--		259	1.07%	159	0.98%	47	0.13%
जापान	++		468	1.52%	2891	11.94%	1160	7.18%	1956	5.34%
अन्य देश	312	5.73%	148	0.48%	399	1.65%	891	5.52%	959	2.62%

स्रोत: डीजीसीआईएस, कोलकाता --: शून्य; ++: नगण्य

****